



F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.,  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 1507 का नवीकरण/ Renewal of Type Approval No.1507**

**विषय/Sub: फ्लाइट कंट्रोल पैनल (एफसीपी) पार्ट सं. 1100 019 459 60/  
Flight Control Panel (FCP) Pt. No. 1100 019 459 60**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एडीई, बेंगलूरु द्वारा अभिकल्पित, विकसित और मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इडब्ल्यू एंड ए, जालहल्ली पोस्ट, बेंगलूरु - 560 013 द्वारा उत्पादित "फ्लाइट कंट्रोल पैनल (एफसीपी)" पार्ट सं. 1100 019 459 60, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1507, दिनांक 18 अगस्त 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1507 जारी किया गया था, जो कि 30 जून 2015 तक वैध था।

*This is to state that the "Flight Control Panel (FCP)" bearing the Pt. No. 1100 019 459 60 designed developed by M/s. ADE, Bengaluru & Manufactured by M/s. Bharat Electronics Ltd., EW & A, Jalahalli Post, Bengaluru - 560 013, has been issued with TA No. 1507 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1507, dated: 18<sup>th</sup> Aug 2010 and was valid upto 30<sup>th</sup> June 2015.*

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2015 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 31 दिसम्बर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए, उत्पादित मात्रा एवं अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), सेमिलैक, मारत्तहल्ली पी.ओ., बेंगलूरु - 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र की अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> Nov 2015 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, three months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any and its cause. All other terms & conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.*

सं./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टीए/TA-1507/1R

दिनांक/Date : 27<sup>th</sup> November 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(गंतायत गौड़ वै. 'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')

स्थानामन्त मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Offg.Chief Executive (Airworthiness)